छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-17

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- क्रमशः 07, एवं 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य सुश्री लता उसेण्डी एवं श्रीमती भावना बोहरा के स्थान पर श्री सुशांत शुक्ला सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित एवं 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. श्रद्धांजलि

माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री की माताजी का देहावसान हो जाने का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से दिवंगत को श्रद्धांजलि दी एवं शोकाकुल परिवार के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री ने भी दिवंगत को श्रद्धांजलि दी एवं शोकोद्गार व्यक्त किये।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 12.04 बजे स्थगित की जाकर 12.17 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

3. पृच्छा

"ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्य सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, उमेश पटेल, विक्रम मण्डावी, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू एवं देवेन्द्र यादव द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

4. स्थगन प्रस्ताव

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 31 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से डॉ. चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

5.बहिर्गमन

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।)

(ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने के पहले डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-1 को प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति की तथा कथन किया कि प्रकरण सब-ज्यूडिश है । इसलिए इस पर चर्चा नहीं कराई जाए।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि शासन के द्वारा ऐसी कोई सूचना विधान सभा को उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

6.ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-आज की कार्यसूची में 106 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य ने रायपुर के शताब्दी नगर तेलीबांधा में स्थित सामुदायिक भवन पर नियम विरूद्ध कब्जा कर अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

(2) श्री अजय चन्द्राकर (अधिकृत), सदस्य ने बालको संयंत्र में नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औषधि उपकरण एवं सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव में दैनिक वेतन भोगी दर पर अनियमित नियुक्तियां किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (106) तक के सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा ।

उप पद क्रमांक सदस्य

5. श्रीमती शेषराज हरवंश,
6. श्री कुंवर सिंह निषाद,
7. श्रीमती चातुरी नंद
8. श्रीमती चातुरी नंद,
9. श्री गजेन्द्र यादव,
10. सर्वश्री मोती लाल साहू, अजय चन्द्राकर,
11. श्री इन्द्र साव,
12. श्री राजेश मूणत,
13. श्री राजेश मूणत,
14. श्री लखेश्वर बघेल,
15. श्रीमती भावना बोहरा, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,
16. श्री धरमलाल कौशिक,
17. श्री रामकुमार टोप्पो,
18. श्रीमती रायमुनी भगत,
19. श्री नीलकंठ टेकाम,
20. सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अटल श्रीवास्तव, ब्यास कश्यप,
21. सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मण्डावी,

22. श्रीमती चातुरी नंद,
23. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत,
24. श्री अनुज शर्मा,
25. श्री राजेश अग्रवाल,
26. श्री राजेश मूणत,
27. श्री अजय चन्द्राकर,
28. सर्वश्री भोलाराम साहू, राघवेन्द्र कुमार सिंह,
29. श्री आशाराम नेताम,
30. श्री पुरन्दर मिश्रा,
31. श्री कुंवर सिंह निषाद,
32. श्रीमती चातुरी नंद,
33. श्री सुशांत शुक्ला,
34. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,
35. श्री अटल श्रीवास्तव,
36. श्री पुरन्दर मिश्रा,
37. श्री मोतीलाल साहू,
38. सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, प्रबोध मिंज,
39. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरम लाल कौशिक,
40. श्री ललित चन्द्राकर,
41. श्रीमती रायमुनी भगत,
42. श्रीमती रायमुनी भगत,
43. श्री ब्यास कश्यप,
44. श्री पुरन्दर मिश्रा,
45. श्री प्रेमचन्द पटेल,
46. श्री प्रेमचन्द पटेल,
47. श्री जनक ध्रुव,
48. श्री रिकेश सेन,
49. श्री ललित चन्द्राकर,
50. श्री संदीप साहू,
51. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल,
52. श्री दिलीप लहरिया,

53. श्री बालेश्वर साहू,
54. श्रीमती शेषराज हरवंश,
55. श्रीमती चातुरी नंद,
56. डॉ. चरण दास महंत,
57. श्री पुरन्दर मिश्रा,
58. श्री पुरन्दर मिश्रा,
59. श्री जनक ध्रुव,
60. श्री रिकेश सेन,
61. श्री राजेश मूणत,
62. श्री पुरन्दर मिश्रा,
63. श्री राजेश मूणत,
64. श्री राजेश मूणत,
65. श्री राजेश मूणत,
66. श्री राजेश मूणत,
67. श्री दलेश्वर साहू,
68. श्री राजेश मूणत,
69. श्री इन्द्र साव,
70. श्री दलेश्वर साहू,
71. श्री दलेश्वर साहू,
72. श्री पुरन्दर मिश्रा,
73. सर्वश्री लखेश्वर बघेल, द्वारिकाधीश यादव,
74. श्रीमती चातुरी नंद,
75. श्री राजेश मूणत,
76. श्री पुरन्दर मिश्रा,
77. श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री रामकुमार यादव,
78. श्रीमती रायमुनी भगत,
79. श्री सुशांत शुक्ला, श्रीमती संगीता सिन्हा,
80. श्री राजेश मूणत,
81. श्री दिलीप लहरिया,
82. श्री बालेश्वर साहू,
83. श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, द्वारिकाधीश यादव,
84. श्री आशाराम नेताम ,

85. डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, कुवर सिंह निषाद,
86. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,
87. श्री अटल श्रीवास्तव,
88. सर्वश्री देवेन्द्र यादव, द्वारिकाधीश यादव,
89. श्री धरम लाल कौशिक,
90. श्री रामकुमार टोप्पो,
91. डॉ. चरण दास महंत, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अटल श्रीवास्तव,
92. श्री लखेश्वर बघेल,
93. श्री रिकेश सेन,
94. श्रीमती चातुरी नंद,
95. डॉ. चरण दास महंत,
96. श्री विनायक गोयल,
97. श्रीमती गोमती साय,
98. श्रीमती गोमती साय,
99. श्री विक्रम मण्डावी,
100. श्रीमती कविता प्राण लहरे,
101. सर्वश्री विक्रम मण्डावी, लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा,
102. श्री धरम लाल कौशिक,
103. श्री धरम लाल कौशिक,
104. श्री रोहित साहू,
105. श्री विनायक गोयल,
106. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह.

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं नियम 267-"क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को सदन में 18 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है । उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगीं तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. डॉ. चरणदास महंत
2. श्री इन्द्र साव

3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री द्वारिकाधीश यादव
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री कुंवर सिंह निषाद
7. श्रीमती चातुरी नंद
8. श्री संपत अग्रवाल
9. श्री पुरन्दर मिश्रा
10. श्रीमती गोमती साय
11. श्री धरमलाल कौशिक
12. श्री रामकुमार यादव
13. श्री ललित चन्द्राकर
14. श्री जनक ध्रुव
15. श्री सुशांत शुक्ला
16. श्रीमती अनिला भेंडिया
17. श्री बघेल लखेश्वर
18. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

2. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
3. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
6. श्री रोहित साहू
7. श्रीमती अंबिका मरकाम
9. श्री द्वारिकाधीश यादव
10. श्रीमती भावना बोहरा

9. संकल्प

(1) **" यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है ।"**

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-

" यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है ।"

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, अमर अग्रवाल,

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) **" यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है ।"**

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-

" यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है ।"

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, अमर अग्रवाल,

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

10. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं तथा उसकी रोकथाम

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की चर्चा आगामी सत्र में ली जाएगी।

11. समितियों का निर्वाचन

समितियों का निर्वाचन एवं नाम-निर्देशन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-25 की अवधि के लिये नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए नौ-नौ उम्मीदवारों के ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं। चूंकि पांचों समितियों हेतु नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित होना हैं। अतः मैंने इन समितियों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन प्रपत्र अनुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है।

(2) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में प्रावधान के अनुसार मैंने नाम-निर्दिष्ट समितियों के लिए सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-2025 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट कर दिया है तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति हेतु नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए समिति का कार्य काल निर्धारित है। अतः मैंने इस समिति में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-25 एवं 2025-26 की अवधि हेतु सेवा करने के लिए सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट कर दिया है।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैंने इन समितियों के सभापति को भी नियुक्त कर दिया है।

उक्त समितियों के सभापति एवं सदस्यों की जानकारी पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से सदस्यों को दी जायेगी।

12. नियम - 167 (1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय सदस्या, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 01/2024 दिनांक 23.02.2024 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

13.सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के प्रथम बजट सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह बजट सत्र 05 फरवरी, 2024 से 01 मार्च, 2024 के मध्य आहूत था, परंतु आप माननीय सदस्यों की सहमति से सत्र की अवधि में संशोधन करते हुए, इस बजट सत्र का आज समय से पूर्व ही समापन हो रहा है। मैं सत्र की सुव्यवस्थित संचालन के लिए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी एवं नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉ. चरण दास महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगणों सहित आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

यह हम सबके लिए उपलब्धि और गर्व का विषय है कि इस बजट सत्र के पूर्व 20 और 21 जनवरी, 2024 को षष्ठम् विधान सभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रबोधन कार्यक्रम में देश के माननीय उप राष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया जी एवं माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विधान सभा आगमन हुआ और आप सभी उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए। इस बजट सत्र में प्रबोधन कार्यक्रम से अर्जित ज्ञान का प्रभाव मैंने सदन में आपके संसदीय प्रदर्शन से अनुभव किया है।

यह बजट सत्र इस सरकार का प्रथम बजट सत्र था, इसके बावजूद मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आप माननीय सदस्यगणों की संसदीय जागरूकता से कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि आप नव निर्वाचित सदस्य हैं और प्रथम बार कार्यवाही में सहभागी बन

रहे हैं। जिस तैयारी और तत्परता के साथ पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने सदन में संसदीय प्रक्रियाओं में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। दोनों ही पक्षों से जो प्रथम बार सदस्य चुनकर आए हैं, उन्होंने चर्चा के विभिन्न माध्यमों में अपनी सक्रिय सहभागिता से इस सदन की गरिमा को संवर्द्धित किया है। विशेष रूप से वे नये सदस्य जो पहली बार जीतकर आये हैं, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती भावना बोहारा, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री सुशांत शुक्ला, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, श्री नीलकंठ टेकाम सहित लगभग हमारे सभी सदस्यों ने सक्रिय संसदीय सहभागिता प्रदर्शित की, जो षष्ठम् विधान सभा के लिए शुभ संकेत है।

मैं इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि इस बजट सत्र की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने 15 फरवरी, 2024 को सदन में वक्तव्य देकर बस्तर क्षेत्र के लिए **नियद नेल्लार योजना** की घोषणा की, जिसका अर्थ आपका अच्छा गांव होता है। यह नवाचार योजना बस्तर के सुदूर अंचल में निवासरत वनवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही भाषण में विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, मोदी जी के गारंटी को पूर्ण करने का दृढ़ता दिखाया। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। उनके उस उद्बोधन के लिए नेता प्रतिपक्ष जी को भी बधाई देता हूं। उन्होंने अपने भाषण की एक विशिष्ट शैली विकसित की है। इसके लिए मैं महंत जी को बधाई देता हूं कि आप नये-नये प्रयोग करते हैं।

इस सदन में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो पहली बार विधान सभा के लिए चुन कर आये हैं और राज्य सरकार में मंत्री की भूमिका का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव जी पहली बार जीत कर आये हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी, वित्त मंत्री श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय श्री टंक राम वर्मा जी, इन्होंने अपने विभाग के प्रश्नोत्तर में जिस प्रभावी ढंग से प्रस्तुति दी, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे पहली बार मंत्री बने हैं। इन सभी को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं।

इस अवसर पर विशेष रूप से प्रतिपक्ष के सदस्य माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी एवं माननीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी की भी प्रशंसा करता हूं । आपने अपने प्रयासों से सदन में प्रतिपक्ष की भूमिका को जीवंत बनाये रखने में भरपूर योगदान दिया । मैं सराहना करता हूं सत्तापक्ष के विद्वान सदस्य माननीय श्री अजय चंद्राकर जी का, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि बार-बार श्रेष्ठ विधायक का सम्मान उन्हें क्यों मिलता है । यह उनके प्रभावशाली इस प्रथम

सत्र में ही अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाया और इसके साथ ही साथ राजेश मूणत जी भी नये रूप में इस बार विधानसभा में प्रकट हुए, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं ।

वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय श्री रामविचार नेताम जी, माननीय श्री केदार कश्यप जी ने अपने कार्यों से अपने दीर्घ संसदीय अनुभव का बोध कराया है, वहीं दूसरी तरफ सदन में जो सदस्य चुनकर आये हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं, माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी बहुत ही सराहनीय ढंग से प्रश्नों का जवाब दिया और मैं सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं।

मुझे यह बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सत्र में अध्यक्षीय निर्देश पर माननीय वित्तमंत्री ने पूरे प्रदेश में अवैध खनन और अवैध परिवहन के विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की । माननीय सदस्य रिकेश सेन द्वारा प्रकरणों की जानकारी देने पर एक सप्ताह में परीक्षण करने की एवं प्रधानमंत्री आवास हेतु 18 लाख आवास के लिये नि:शुल्क रेत देने की घोषणा की। यह अपने आपमें बहुत बड़ी घोषणा है और विधानसभा की ताकत दिखाता है । इसी प्रकार माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री ने छोटे स्कूलों में अहाता सहित तथा बड़े में बारवेट वॉयर और वृक्षारोपण के माध्यम से शाला भवन को सुरक्षा देने में सहमति दिखायी है ।

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि इस सत्र में प्रश्नकाल का आप सभी माननीय सदस्यों ने प्राप्त अवसर का भरपूर लाभ उठाया। प्रश्नकाल वह हथियार है, जिसमें सदस्य सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है । मैंने अपने संसदीय जीवन में किसी भी सत्र में प्रश्नकाल का इतना बेहतर उपयोग करते हुए नहीं देखा है, यह अपने आपमें बहुत बेहतर अनुभव मुझे महसूस हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि इस सत्र के प्रश्नकाल में जहां कुछ प्रश्नों के महत्व को देखते हुए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपे गये, वहीं प्रश्नकाल में ही भिन्न प्रश्नों पर विभागीय जांच का आश्वासन भारसाधक मंत्री ने दिया । प्रश्नकाल में जहां शिक्षकों की पदोन्नति की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की, वहीं प्रश्नकाल में कार्यपालिका के कुछ अधिकारियों को उनके कार्यकरण के लिये निलंबित भी किया गया । साथ ही इस विधानसभा के वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक यह प्रथम बार हुआ है कि जब प्रश्नकर्ता के एक प्रश्न पर माननीय विभागीय मंत्री ने सदन के प्रश्नकर्ता सदस्य की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कराने की घोषणा की है । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । श्री धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न 6 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक-58) "पी.डी.एस. के तहत् संचालित दुकानों की जांच" विषयक पर सदन की समिति से जांच कराने की सहमति दी, यह मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है । मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल का इससे बेहतर उपयोग का और कोई

उदाहरण नहीं मिल सकता । मैं सभी प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों को, विभाग के मंत्रीगणों को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्नकाल के माध्यम से विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण को मजबूती देने का कार्य किया है । निश्चित ही ऐसे प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की पूर्ति होती है ।

आप माननीय सदस्यगणों से मेरा यह आग्रह है कि सदन की गरिमा और मर्यादा आपके कार्यकरण पर ही निर्भर है । जितना आप इस सदन की गरिमा पर ध्यान रखेंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा । मैं नवोदित माननीय सदस्यगणों और वरिष्ठ माननीय सदस्य दोनों से अनुरोध करता हूं कि सदन की परम्परा और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिये आप गंभीर हों । मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कुछ माननीय सदस्य चर्चा के दौरान जानकारियां लेने के लिये प्रश्न पूछते समय मोबाईल का उपयोग करते हुए देखे गये, जो कि संसदीय सदन की परम्परा नहीं है । ऐसे सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो, मोबाईल बाहर रखकर आयें तो बेहतर होगा ।

आप माननीय सदस्यों से मेरा यह भी आग्रह है कि अपने संसदीय ज्ञान को विस्तार देने के लिये निरंतर आप प्रयासशील रहें । विधानसभा के पुस्तकालय और संदर्भ शाखा का उपयोग करें । अपने वरिष्ठजनों से परामर्श लें क्योंकि किसी भी विषय पर आपका अध्ययन और आपकी जानकारी जितनी अधिक होगी, आप उतने ही अच्छे ढंग से अपनी बात रख सकेंगे और आपके इस कार्य से निश्चित ही सदन में न केवल इससे चर्चा का स्तर बढ़ेगा, अपितु चर्चा परिणाम मूलक भी होगी। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट में 14 माननीय सदस्यगणों ने पुस्तकालय सुलभ संदर्भ का उपयोग किया। मुझे यह अपेक्षा है कि यह संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का कुशलता से निर्वहन कर लोकतंत्र में सजग सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका को अपने कार्य, विचार और व्यवहार से सिद्ध किया है। यह बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। आप माननीय सदस्यगणों की संसदीय परिपक्वता और जनकल्याण के प्रति आपकी वचनबद्धता इस सत्र में स्पष्ट रूप से नजर आयी। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप माननीय सदस्यगणों ने पक्ष-प्रतिपक्ष के भाव से ऊपर उठकर जनकल्याण को सर्वोपरि समझा है।

इस सत्र में राज्य की समग्र उन्नति एवं जनहित से संबद्ध प्रत्येक विषयों पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई, धान खरीदी, पर्यावरण, प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा, आवागमन, महिला

बाल विकास एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक विषयों पर जो समग्र सारगर्भित चर्चाएं हुईं हैं। इसे मैं इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

इस बजट सत्र में राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग 1500 छात्र-छात्राओं ने विधान सभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। यह परंपरा आने वाले सत्रों में भी बनी रहे, इसके लिए आप माननीय सदस्यगण प्रयास करेंगे।

परंपरा अनुसार बजट सत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 14 फरवरी से 16 फरवरी, 2024 को विधान सभा चिकित्सालय में किया गया। इसी क्रम में 26 फरवरी, 2024 को एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही. रिसर्च सेंटर, रायपुर द्वारा कार्डियक कैंप, 27 फरवरी, 2024 को श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल पॉजिटिव हेल्थ जोन, रायपुर द्वारा नेत्र/आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर का, आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को श्री अनंत सांई हॉस्पिटल द्वारा कार्डियक कैंप का आयोजन किया गया इस हेतु मैं स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एस.एम.सी. हॉस्पिटल, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एवं श्री अनंत साई हॉस्पिटल, रायपुर को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों को उनके संसदीय कार्यों में सहयोग के लिए विधान सभा द्वारा आप माननीय सदस्यों को लैपटॉप वितरित किया गया है। आपसे आग्रह है कि इसका आप अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय सभी सदस्यगणों को राजिम कुंभ कल्प 2024 में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया है। श्री राजीव लोचन भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ लेने का अवसर हमें मिला है। उन्हें धन्यवाद।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में संपादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र में कुल 26 दिवसों में लगभग 101.34 घंटे चर्चा हुई। 15 बैठकों में 145 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन के द्वारा दिये गये। इस सत्र में 1337 तारांकित प्रश्न और 1357 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार 2694 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 411 सूचनाएं, जिसमें 214 सूचनाएं ग्राह्य की गईं और 33 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में कुल 147 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुईं। शून्यकाल की 61 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 25 सूचनाएं ग्राह्य और 14 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 266 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 139 ग्राह्य व 76 अग्राह्य रही। 10 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें से 05 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 04 संकल्प स्वीकृत हुए एवं 1 व्यपगत हुआ। इस सत्र में 5 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और चर्चा उपरांत सभी पारित हुए।

वित्तीय कार्य के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 39 मिनट, वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा सहित विभागों की अनुदान मांगों पर 55 घंटे 21 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 5 घंटे चर्चा हुई। अंत में, बजट सत्र के समापन के अवसर पर सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मैं सदन के माननीय नेता, मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभी सदस्यों का पुनः हृदय से धन्यवाद् करता हूं । सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हुआ । मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग दिया । इसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं । जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रचार प्रसार के इस माध्यम से प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी मीडिया के प्रतिनिधि के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण उन्होंने किया । सत्र की पूर्णता पर राज्य शासन के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूं । जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में की । मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ किया । सत्र समापन के अवसर पर संभावित तिथी की घोषणा की जाती है । जुलाई के अंतिम सप्ताह के मध्य यह संभावित है । हम सभी प्रदेश के विकास के प्रति कृत संकल्पित हैं । इसी भावना के साथ

जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी उद्गार व्यक्त किये।

14. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

अपराह्न 2.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा